न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	पेरवरमल बनाम भूमि [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दाता [illegible] 13/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.12.2022 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
26.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने फर्द दस्तावेज के संलग्न किता 4 दस्तावेजात् दिनांक 22.12.2022 के मार्कशुदा पेश किये गयें। जो शामिल पत्रावली किये गयें। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 26/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13 / 2021	2021 / 0026	02.02.2021	26.12.2022

उनवान प्रकरण

पोखरमल पुत्र बुद्धाराम आयु 42 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादी——

उपस्थित :–

श्री जे.पी. गूर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh

Date: 2023.01.02 12:17:19 IST

Reason: SelfAttested

संक्षेप [illegible] वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत [illegible] नम्बर 285 रकबा 1.97 है0 बारानी 2, ख0 न0 286 रक[illegible] है [illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 अवस्थित तन ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जि[illegible]कर राज0 हैं। वादी उक्त कृषि

26/12/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि के 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी की माताजी लच्छी देवी का विवाह स्व0 सुल्तान पुत्र नन्दाराम के साथ सम्पन्न हुआ था और लच्छी देवी के उनके पति सुल्तान से पुत्र बंशी पैदा हुआ था। ततपश्चात लच्छी देवी के पति सुल्तान का स्वर्गवास हो गया। वादी की माताजी लच्छी देवी के पति सुल्तान का युवावस्था में ही स्वर्गवास होने पर लच्छी देवी ने अपने देवर बुद्धाराम पुत्र नन्दाराम से पुर्नः विवाह (नाता) कर लिया और दोनों पति–पत्नि होकर एक साथ जीवनयापन करने लग गये और लच्छी देवी के दूसरे पति बुद्धाराम से एक पुत्र पोखरमल (वादी) और पैदा हुआ। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी रिसैटलमेन्ट से पूर्व तक वर्तमान सहखातेदार नाथू, भींवा पुत्र खुमाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी परन्तु वास्तविक रूप से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में मौके पर 1/2 हिस्से पर नाथू, भींवा पुत्र खुमाना का एवं 1/2 हिस्से पर वादी एवं वादी के सहोदर भाई बंशी पुत्र सुल्तान का कब्जा काश्त चला आ रहा था। इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी पूर्व में खातेदार नाथू भींवा के पिता परिवार के कर्ता खानदान होने से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी पूर्व में इनके अकेलो के संपूर्ण की दर्ज हो गयी जो गलत थी। जिस पर रि–सैटलमेन्ट के वक्त वादी के सहोदर भाई बंशी को जानकारी होने पर भू–प्रबंध अधिकारी के रि–सैटलमेन्ट कार्यवाही के वक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर मौके पर जांच व सुनवायी कर एवं खातदेार नाथू, भींवा पुत्र खुमाना की सहमति होने पर परिशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी 1/2 हिस्से की नाथू, भींवा पुत्र खुमाना एवं 1/2 हिस्से की बंशी, पोखरमल पुत्र सुल्तान के नाम से अंकन हो गयी। उस वक्त वादी नाबालिग था एवं उस सहोदर भाई बंशी अनपढ होने से उनको इस वादी को वल्दियत बुद्धाराम के बजाय सुल्तान होने वाली गलती का ज्ञान नही रहा। जबकि वादी के समस्त सरकारी रिकार्ड में शैक्षणिक रिकार्ड, परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड ओर मतदाता सूची आदि सभी में वादी पोखरमल के पिता का नाम बुद्धाराम सही दर्ज हैं। इस प्रकार कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी के पिता का नाम सुल्तान गलत दर्ज हैं और वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेज में वादी के पिता का नाम बुद्धाराम सही अंकित हैं। इस प्रकार वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में एवं वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात मे अलग-अलग वल्दियत होने से वादी सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इस प्रकार वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा भविष्य मे भी वादी एवं उसके वारिसान के विधिक अडचने उत्पन्न होने की सम्भावनाये सदेव ही बनी रहती है। इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे वादी के पिता (वल्दियत) नाम सुल्तान के स्थान पर बुद्धाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी के पिता का नाम बुद्धाराम सही अंकित किये जाने से वादी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। पोखरमल पुत्र सुल्तान बलाई नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर में नहीं हैं। वादी अपनी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि में पुख्ता मकान बनाकर स्थाई रूप से निवास करता हैं और वादी ने अपने उक्त मकान में विद्युत कनैक्शन हेतु आवेदन किया तो उसके राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम सही नही होने से काफी दिक्कत पैदा हुई। इस प्रकार वादी को उक्त राजस्व रिकार्ड में वल्दियत गलत होने की जानकारी होने पर वादी ने अपने पिता (वल्दियत) का नाम दुरूस्ती बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड वादी के पिता का नाम (वल्दियत) सुल्तान के बजाय बुद्धाराम सही अंकित किया जावें तो पहले तो प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा वादी को आश्वासन देते रहे किन्तु अब अर्सा करीब 1 माह पूर्व इंकार कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहने से वादी को न्यायालय में उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादी ने तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का निवेदन का प्रयास विफल होने एवं प्रतिवादी द्वारा अर्सा करीब 1 माह पूर्व इंकार करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए वाद अन्दर मियाद है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 286 रकबा 1.67 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 अवस्थित तन ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं के 1/4 हिस्से का खातेद[illegible]ल पुत्र सुल्तान के स्थान पर पोखरमल पुत्र बुद्धाराम को उदघोषि[illegible] खातेदारी में पोखरमल पुत्र बुद्धाराम के नाम दुरूस्ती हेतु भूमिधारी तहसीलद[illegible] श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हेतु यह वाद वास्ते उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील तलब किया गया। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी पोखर का मुख्य परीक्षण में एवं साक्ष्य गवाह में बंशी पुत्र सुल्तान एवं नाथू उर्फ नरेश पुत्र खुमाना के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 772/भू.अ./2022 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, 2033–2036, 2042 जमाबन्दी, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी प्रकार वादी के नाम हिस्सा 1/4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

26/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् बंशी पुत्र सुल्तान एवं नाथू उर्फ नरेश पुत्र खुमाना के द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम नालोट के भूमि ख0 न0 285, 286 कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 में खातेदार का नाम पोखर पुत्र सुल्तान हिस्सा 1/4 जाति बलाई दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी खातेदार पोखरमल के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में पिता का नाम बुद्धाराम अंकित है। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा पुछताछ करने पर अवगत कराया गया कि प्रार्थी खातेदार पोखरमल की माता लच्छी देवी का पुनर्विवाह बुद्धाराम के साथ हुआ था तथा पोखरमल बुद्धाराम का ही जाईन्दा पुत्र होने बाबत रिपोर्ट में अंकित किया है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम पोखरमल पुत्र सुल्तान के स्थान पर पोखरमल पुत्र बुद्धराम के राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि कृषि

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 286 रकबा 1.67 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 अवस्थित तन ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/4 हिस्से का खातेदार पोखरमल पुत्र सुल्तान के स्थान पर पोखरमल पुत्र बुद्धाराम को उद्घोषित किया जाता है तथा वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमियां के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में पोखरमल पुत्र सुल्तान के स्थान पर पोखरमल पुत्र बुद्धाराम का नाम राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested